न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी — हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्या—80 / 2013

दायर दिनांकः—27.06.2013

जीसीएमएस नं0 2013 / 00351

1. सुगर उम्र 30 साल
2. निरंजन उम्र 25 साल
3. पुरूषोत्तम उम्र 22 साल

} पिसरान— खीरचन्द

4. रामभरोसी पुत्र हरेती उम्र 65 साल
5. बालू उम्र 32 साल
6. केलाश उम्र 20 साल

} पिसरान— बत्तू

7. मु0 सुपेदी उम्र 60 साल बेवा सूरजमल
8. पुष्पेन्द उम्र 13 साल पुत्र सूरजमल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सेपुदी खुद समस्त जाति जाटव निवासी मुण्डाकापुरा तन जगर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

——————सायलान

बनाम

1. राजूलाल उम्र 60 साल पुत्र रामचन्द
2. रमनलाल उम्र 35 साल
3. मुनेश कुमार उम्र 33 साल
4. अशोक कुमार उम्र 30 साल
5. लालचन्द उम्र 25 साल

} पिसरान— राजूलाल (क्रमांक 2 से 5)

6. मु0 सुनीता उम्र 30 साल पत्नि मुनेश कुमार

} जाति—जाटव, निवासी— मुण्डाकापुरा तन जगर, तहसील— हिण्डौनसिटी, जिला—करौली (राज0)

——————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री महेश पंडा अधिवक्ता सायल

2. श्री नरेन्द्र सिंह जादौन गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का [illegible] है कि भूमि नवीन खसरा नं0 546 रकवा 0.2100 है0 किस्म [illegible] आराजीयात 539, 540, 541, 542, 557, 558, 559, 560, [illegible] 771, 772, 773, [illegible] ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर तहसील हिण्डौनसिटी में [illegible] है। भूमि मुतजिका [illegible] 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के सायलान नम्बर 1 ता 3 हिस्सा 1 / 4 भाग तथा सायल नं0 4 हिस्सा 1 / 4 भाग तथा सायलान नम्बर 5, 6 हिस्सा 1 / 4 भाग तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

सायलान नम्बर 7, 8 हिस्सा 1/4 के रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट हैं। उक्त आराजीयात सायलान की मौरूसी व पेतृक है तथा उक्त आराजीयात को सायलान बसमय बुजुर्गों से बदस्तूर आज तक कब्जाकाश्त करते चले आ रहे हैं तथा सायलान ही बदस्तूर सरकारी लगान अदा कर रहे हैं। जबकि गैरसायलान का भूमि मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तथा भूमि मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में अन्य खातेदारान ने जरिये नामान्तकरण संख्या 57, 83, 90 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा के अपने अपने हिस्से की भूमि को अलग अलग सायलान के हक में अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया है इसलिए सायलान का प्रथम दृष्या केश बखूबी साबित है। मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नवीन खसरा नं0 546 रकवा 0.2100 वि0 चाही–2 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर सायलान के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि है जिस भूमि को सायलान ने डोलमेढ से महदूद कर रखा है तथा फसल दर फसल सायलान उक्त भूमि को बसमय बुजुर्गों से बदस्तूर काश्त कर दरोड करते चले आ रहे हैं। सायलान ने खसरा नं0 546 में गत संवत 2069 की कार्तिक (खरीफ) में बाजरा तथा बैसाख (रवि) में गेहूँ की फसलें काश्त कर दरोह की थी तथा अब भी सायलान उक्त भूमि पर काबिज व दखील है इसलिए सुकिवधा का सन्तुलन पक्ष सालान के पक्ष में बखूबी साबित है।

गैरसायलान के परिवार की सदस्य तथा गैरसायलन नं0 3 मुनेश कुमार की पत्नि सुनीता गैरसायल नं0 6 वर्तमान में ग्राम पंचायत जगर की सरपंच है। गैरसायलान ग्राम मुण्डाकापुरा के रहने वाले हैं जिनका गॉव में एक गिरोह है तथा लट्ठ वाले व्यक्ति हैं तथा सरपंच होने की धोंस देते है। गैरसांयल संख्या 2 ता 6 ने सायलान की भूमि के पास में ही तथा खसरा नं0 546 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा के बगल में खेत खसरा नं0 538, 544 व 545 आदि वाकके ग्राम मुण्डाकापुरा में से हिस्सा 3/10 भाग खरीद कर लिए हैं। गैरसायलान के उक्त खेतों की अलग से डौल व मेढ हो रही है परन्तु गैरसायलान केक दिल में बदयान्ति आ गई है और गैरसायलान द्वारा खरीद की गई भूमि की आड में गैरसायलान सायलान के खेत खसरा नं0 546 रकवा 0.2100 किस्म चाही–2 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते हैं तथा गैरसायलान सायलान को उक्त भूमि से बेदखल करना चाह रहे हैं जबकि गैरसायलान का सायलान के उक्त खेत खसरा नं0 546 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा से किसी प्रकार कोई सवंबंध नहीं है तथा साथ ही गैरसायलान अपनी खरीद की गई भूमि आड में बदयान्ति से खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

नं0 547 रकबा 0.0200 गै मु व सिवायचक की खाते की भूमि को जबरन हडपना चाहते हैं।

दिनांक 17.06.2013 को गैरसायलान अपना ट्रेक्टर लेकर व हाथों में लाठी व फरसा धारिया लेकर एक राय होकर सायलान के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं0 546 रकबा 0.2100 किस्म चाही–2 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर पर आ गये और सायलान के खेत की डौल व मेढ को अपने ट्रेक्टर से तोडने व हटाने लगे तो सायलान ने गैरसायलान से हाथ जोडकर कहा कि भाईयों हमारे खातेदारी के खेत की डौल व मेढ को क्यों तोड रहे हो तो इतना कहते ही गैरसायलान ने एलानिया कहा कि हम इस गॉव केक सरपंच हैं हमारी हुकूमत चलती है हमने तुम्हारे इस खेत की बगल का खेत खरीद लिया है अब हम गैरसायलान जबरन लट्ठ पर तुम्हारे खेत की डौल को तोड कर हमारे खेतों में मिलालेगें अब भविष्य में हम गैरसायलान ही तुम्हारे इस खेत को जोतेगें व बोयेगें तथा तुमने जो तुम्हारे खेत में जोत लगाई है उक्त जोत को हम गैरसायलान पलट देगें और तुम्हे इस खेत और तुम्हे कब्जाकाश्त करने नहीं देगें और सायलान को गैरसायलान ने जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद दिनांक 17.06.2013 को सायलान की दरख्वास्त पर पटवारी हल्का जगर ने दिनांक 18.06.2013 को सायलान की उक्त आराजी खसरा नं0 546 रकबा 0.2100 ऐयर वाके ग्राम मुण्डाकापुरा को मौके पर जाकर सीमा समझाई। सायलान द्वारा मोके पर मोजूद गैरसायलान अपनी हरकतों से वाज नहीं आ रहे हैं और सायलान के उक्त खेत पर जबरन कब्जा कर सायलान को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। जिससे हकूक सायलान का अकथनीय व अपूर्णनीय हानि है। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो सायलान का दावा पेश करने का मकसद ही बेसूद हो जावेगा तथा तमाम मुकदमेवाजी में पडना पडेगा जिससे सायलान को अत्यधिक क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि पाबंद न किये जाने की सूरत में सायलान को अतुलनीय क्षति है जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य में [illegible] है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्था[illegible] पेशकर निवेदन है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी नि[illegible]ज्ञा से इस अमर के लिए पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 546 रकबा 0.2100 हे0 किस्म चाही–2 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर तहसील हिण्डौन सायलान के कब्जाकाश्त व उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमूत मदाखलत न तो स्वयं पैदा करे ना किसी अन्य से कराये। जबरन कब्जा नहीं करे तथा सायलान को बेदखल नहीं करे। शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे तथा गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य भी नहीं करे जिससे सायलान के हक हकूकों पर किसी प्रकार का विपरी प्रभाव पड़ें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह जादौन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं जबाव पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध माननीय न्यायालय में उक्त उनवानी दावा हाजा गलत तौर पर पेश करना स्वीकार है लेकिन उक्त दावा हाजा में सायलान को सफलता मिलने की कोई संभावना किसी प्रकार से नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र के मद न0 2 में भूमि नवीन खसरा न0 546 रकवा 0.21 किस्म चाही 2 व आराजीयात खसरा न0 539, 540, 541, 542, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 771, 772, 773, 774 कुल किता 17 ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित होना स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र के मद न0 3 में दर्ज भूमि मुतजिक्रा 1 वाद पत्र में सायलान न0 1 ता 3 का 1/4 भाग सायलान संख्या 4 का हिस्सा 1/4 एवं सायलान न0 5 व 6 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड होना स्वीकार नहीं है। और नाही उक्त आराजीयात पर सायलान का कोई कब्जा नहीं काश्त है। शेष तथ्य गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। सायलान का कोई प्रथम दृष्टया केश प्रमाणित नहीं है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। खसरा न0 546 रकबा .21 है0 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर सायलान के कब्जाकाश्त की भूमि नहीं है और ना ही सायलान द्वारा उक्त भूमि को डोलमेंड से महदूद कर रखा है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 में दर्ज गैरसायलान न0. 3 की पत्नि गैरसायल न0 6 का ग्राम पंचायत जगर की सरपंच होना एवं सायलान एवं गैरसायलान का ग्राम मूण्डाकापुरा के रहने वाले होने तक स्वीकार है। गैरसायलान का कोई लट्ठ वाला संगठित गिरोह नहीं है गैरसायलान द्वारा खसरा न0 538, 544, 545 की भूमि के 3/10 भाग को नहीं खरीदा है बल्कि गैरसायलान संख्या 2 ता 5 द्वारा साबिक खातेदार ओमप्रकाश रामवीर व मु0 रामपति व माया से उनके हिस्सा 4/10 की भूमि खसरा न0 538, 544, 545, 800, 803,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

804, 805, 806, 807, 808, 809, 821 का 4/10 भाग खरीद कर कब्जे में ली है। गैरसायलान द्वारा खरीद कर कब्जे में लिये गये उक्त खेंतों की अलग से डोरमैड होना स्वीकार है। गैरसायलान के दिल में कोई वदयांति नही है और ना ही गैरसायलान अपनी खरीद की गयी भूमि की आड में सायलान के खेत खसरा न0 546 की भूमि पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा कर उसे हडपना चाहते है। सायलान को गैरसायलान उनकी किसी भूमि से बेदखल करना नहीं चाहते खसरा न0 547 रकबा 0.02 है0 किस्म गैरमुमकिन सिवाचयक भूमि को जबरन हडपना नहीं चाहते है बल्कि उक्त सिवाचयक भूमि भी गैरसायलान द्वारा खरीद की गयी भूमि से लगी हुई व जुडी हुई साबिक खातेदारान के कब्जे की भूमि रही है। जिस पर वर्तमान में गैरसायलान संख्या 1 ता 5 का खरीद के दिन से ही लगातार शांती पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त सिवाचयक भूमि में वर्तमान में गैरसायलान द्वारा फसल बाजरा काश्त की है जो सरसब्ज रूप से मौके पर खडी है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 गलत है। स्वीकार नही है दिनांक 17.06.2013 को या अन्य किसी दिन अपना ट्रैक्टर घातक हथियारों के साथ लेकर सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा न0 546 पर नहीं गये औश्र ना ही उन्होने सायलान के खेत की कोई डोलमेड अपने ट्रेक्टर से तोडी सायलान की गैरसायलान से उक्त मद में दर्ज कोई बाते नहीं हुई और ना ही गैरसायलान ने सायलान को उक्त मद में दर्ज कोई धमकी दी। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.06.2013 को आराजी खसरा न0 546 की मौके पर जाकर सीमा समझाने वाली बात स्वीकार है शेष तथ्य गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। गैरसायलान द्वारा सायलान के कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 546 पर कभी कब्जा करने का या उन्हे बेदखल करने का प्रयास ही नहीं किया।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 गलत है स्वीकार नहीं है।

गैरसायलान संख्या 2 ता 5 द्वा[illegible]काश रामवीर पि0 कल्याण मू0 रामपति बेबा कल्याण, माय[illegible] मुण्डाकापुरा से उनके कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 5[illegible] 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 व 821 कुल किता 12 कुल रकबा 2.10 है0 [illegible] स्थित ग्राम मुण्डाकापुरा तन जगर का हिस्सा 4/10 जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीद कर उक्त आराजी को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

कब्जे काश्त में लिया है। गैरसायलान संख्या 2 ता 5 के हक में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 109 दिनांक 06.05.2013 तस्दीक किया जाकर गैरसायलान का नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया है। गैरसायलान 2 ता 5 द्वारा खरीद की गयी भूमि के चरपेटमा भूमि खसरा न0 547 रकबा 0.02 है0 सिवाचयक भूमि में स्थित है उक्त भूमि हमेशा से गैरसायलान 2 ता 5 खरीद की गयी भूमि के साथ जुडी हुई है उक्त सिवाचयक भूमि पहले गैरसायलान 2 ता 5 के द्वारा खरीद की गयी भूमि के साबिक मालिकों के एवं खरीद के दिन से उक्त भूमि गैरसायलान 2 ता 5 के कब्जे काश्त में लिया है। सायलान का उक्त भूमि से कभी कोई संबंध या वास्ता किसी प्रकार से नही रहा है। सायलान अवैधानिक रूप से गैरसायलान पर दबाव बनाकर उनसे ग्राम पंचायत से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते है एवं साथ ही गैरसायलान को बेकब्जा करवाकर स्वयं कब्जा कर लाभान्वित होना चाहते है इसलिये सायलान ने गैरसायलान स0 6 को गलत तौरपर मुकदमे में शामिल करते हुए आधार हीन प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर किया है जो काबिले खारिज है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2066–69 खाता संख्या 9 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तहसील सूरौठ, नवीन नक्शा ट्रैस, फर्द मौका सीमाज्ञान पटवारी हल्का जगर, खसरा गिरदावरी, विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2013 पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में प्रकरण में प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ, सायलान के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2066–69 खाता संख्या 9 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तहसील सूरौठ, नवीन नक्शा ट्रैस, फर्द मौका सीमाज्ञान पटवारी हल्का जगर, खसरा गिरदावरी में भूमि सायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संवध

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

मे वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण मे गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात मे सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 546 वाके ग्राम मुण्डाकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 22.06.2013 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 22/11/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/11/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested